

न्यायालय तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व प्रकरण संख्या 220/2019

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का साउ प्रथम

बनाम

श्री हाकम 5/0 जफक मेरात

रायला बाणिया

भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

:- निर्णय :-

दिनांक : 29.8.19

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी अनुपस्थित । मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का साउ प्रथम द्वारा संवत् 2076 में ग्राम रायला बाणिया

की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1986 कुल रकबा 20 किस्म चरागाह में से रकबा 211 भूमि पर अप्रार्थी श्री हाकम पुत्र जफक

जाति मेरात निवासी रायला बाणिया द्वारा नाजायज कार्य की खास

कर लिये जाने की भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 29.8.19 को मुकाम मसूदा पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्रार्थी नोटिस के जवाब में नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित रहा । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहा । अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहा । भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है एवं अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः अप्रार्थी हाकम पुत्र जफक

जाति मेरात निवासी रायला बाणिया को भूमि ग्राम रायला बाणिया

के खसरा नम्बर 1986 रकबा 20 किस्म चरागाह में से रकबा 211 भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे/काश्त के लिये अतिक्रमी घोषित

किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल किया एवं

आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 2.40 का पचास गुना 120

रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जावें व मौके पर खड़ी फसल को जब्त सरकार कर नीलामी की जावें । आदेश की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.8.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया एवं शामिल मिगल किया गया । 2019-20